



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112022-240064
CG-DL-E-05112022-240064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4931]
No. 4931]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5150(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के कि.मी 360.300 से 363.600 (कोरापुट बाईपास) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के कि.मी 360.300 से 363.600 (कोरापुट बाईपास) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार, कोरापुट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	कोरापुट	कोरापुट	1 कन्हईपुत

		NH26 के कि.मी. 360.3 से 363.6 तक				2 कोरापुट 3 कुम्भा
--	--	--	--	--	--	-----------------------

[फा. सं. : RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5150(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 360.3 to 363.6 of National Highway No. 26 (Koraput bypass) in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 26 from km. 360.300 to 363.600 (Koraput bypass) in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahasildar, Koraput	360.3KM To 363.6KM	ODISHA	KORAPUT	Koraput	1 Kanheiput 2 Koraput 3 Kumbha

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director